

श्री भीष्म प्रताप सिंह, माननीय स.वि.स. से प्राप्त तारांकित
प्रश्न सं. 18/02/3331 का उत्तर प्रतिवेदन:-

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>1. क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अन्तर्गत नवतन प्रखंड के गंभीरपुर गाँव के उत्तर दिशा में स्थित 'बुढवा के बाँध' की मरम्मती नहीं होने के कारण समीपवर्ती ग्रामीणों को परेशानी होती है,</p> <p>2. क्या बात यह सही है कि लबदा नदी एवं मिर्जापुर चँवर से जल निकासी नही होने के कारण गंभीरपुर, महुआ भूसा, नारायण पुर, हसुआ इत्यादी गाँवों में लगभग 500 एकड़ से अधिक भूमि पर लगे फसलों की क्षति प्रतिवर्ष हो जाती है,</p> <p>3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थानों से जल निकासी कराकर किसानों के हित में भूमि को कृषि करने योग्य बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला अन्तर्गत नौतन प्रखंड में मिर्जापुर चौर एवं गंभीरपुर चौर के बीच मनरेगा द्वारा निर्मित बुढवा बाँध अवस्थित है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 1.00 कि०मी० है।</p> <p>बाढ़ अवधि में लबदा नदी का जलस्तर बढ़ने पर इसका पानी गंभीरपुर स्थित नाले के माध्यम से वर्णित चौरों में फैलता है एवं नदी के जलस्तर कम होने पर इसकी निकासी निम्न तल को छोड़ कर स्वतः नाले के माध्यम से नदी में होता है। लबदा नदी एवं वर्णित नाला में आंशिक रूप से गाद जमा है।</p> <p>वर्तमान में वर्णित ग्रामों के चौर क्षेत्रों के निम्न तल को छोड़कर शेष क्षेत्रों में किसानों द्वारा खेती की जा रही है।</p> <p>बुढवा बाँध का सुदृढीकरण, लबदा नदी एवं वर्णित नाला के गाद सफाई के लिए सर्वेक्षणोंपरान्त पंचायतवार योजना की सूची तैयार कर इसे मनरेगा (जी राम जी) के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल करने हेतु संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध करा दिया गया है। योजना कार्यान्वयन उपरान्त जल निकासी शीघ्रता से हो सकेगा।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-130/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/3331 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-130/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-130/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(गो0)-05-130/2026-

1378

पटना, दिनांक-

23/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार गुप्ता
20.03.26

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

20.03.26